मृत्यु पूर्व बयान बिना पुष्टि के भी दोषसिद्धि

पत्नी की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने रखी सजा बरकरार

जबलपुर, 12 दिसंबर. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि मृत्यु पूर्व बयान बिना किसी पुष्टि के भी दोषसिद्धि का आधार है.

युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ पत्नी के हत्या के आरोप में सजा से दंडित किये जाने के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया. नरसिंहपुर जिले के सिंहपुर बडा निवासी अमित चौकसे की तरफ से दायर अपील पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये जाने को चुनौती दी गयी थी.अपीलकर्ता की तरफ तर्क दिया गया कि सभी अभियोजन गवाह को सुनवाई के दौरान पक्ष विरोधी घोषित कर दिया गया था.अचानक विवाद होने के कारण घटना घटित हुई थी तो प्रकरण गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है.पत्नी ने स्वयं आग लगाई थी।

युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान मृतक के पिता ने पुलिस को सूचित किया था कि उसके बेटे ने अपनी पत्नी पर केरोसिन तेल डालकर जला दिया है.पत्नी ज्योति ने भी मृत्यु पूर्व बयान में कहा था कि उसके पति ने केरोसिन तेल डालकर उसे जलाया है. सुनवाई के दौरान आरोपी की बात-पिता व रिश्तेदार अपने बयान से मुकर गये.इसके अलावा आरोपी की सास तथा साला ने भी अपने बयान में कहा है कि उन्होंने घटना होते हुए नहीं देखी.उसका आरोपी से समझौता हो गया है और वह दोनों बच्चो की अच्छे से देखभाल करते हुए पढाई करवायेगा.युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि न्यायालय को मृत्युपूर्व बयान किसी दबाव में दर्ज नहीं करवाया गया है और न्यायालय को उस पर भरोसा है कि बिना साक्ष्य के भी दोषसिद्धि का आधार है.आरोपी के पिता ने घटना के संबंध में पुलिस को सूचित किया था.युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ अपील को खारिज कर दिया.

स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकार हाईकोर्ट की शरण में

सागर जिले में पुलिस थानों का स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकारों ने हाईकोर्ट की शरण ली है।याचिका में कहा गया कि पुलिस अब उन्हें पेरशान कर रही है। उनके कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उन पर झूठे प्रकरण पंजीबद्ध करने की तैयारी कर रही है। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव विधि विभाग, प्रमुख सचिव गृह विभाग, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी, पुलिस अधीक्षक सागर व सीबीआई को नोटिस जारी कर चार सप्ताह मे जबाव मांगा है. युगलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए जाने के निर्देश भी दिए. यह मामला भोपाल निवासी राहुल शर्मा, दीपक शर्मा व सागर निवासी अतुल अग्रवाल की ओर से दायर किया गया है, जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने सागर के चार पुलिस थाना बहेरिया, मोतीनगर, मकरोनिया एवं गोपालगंज में पदस्थ पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने, स्पा सेंटरो में देह व्यापार संचालित करवाना आदि का स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा खुलासा किया था.

बाघिन टी-60 के दो शावकों की मौत

टेरिटरी विवाद- नए नर बाघ के आने से जंगल में घटना

सीधी, 12 दिसंबर. नए नर बाघ की इंट्री से टेरिटरी विवाद के चलते बाघिन टी-60 के दो शावकों की मौत हो गई. यह घटना संजय टाइगर रिजर्व सीधी के दुबरी वन परिक्षेत्र के उत्तर बीट डेवा के घने जंगल में गुरुवार को हुई.

नियमित गस्त पर निकली संजय टाइगर रिजर्व की पेट्रोलिंग टीम को झाड़ियों में असमान्य हलचल दिखने पर जब वहां देखा गया तो दोनो शावकों के छत-विक्षत शव पड़े हुए थे. शावकों के शरीर पर किसी बड़े शिकारी के हमले के स्पष्ट निशान थे. वन विभाग की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह हमला टेरिटरी विवाद का परिणाम है. पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में एक नए नर बाघ की उपस्थिति दर्ज की जा रही थी. वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि नर बाघ अक्सर अपने क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रतिद्वंद्वी बाघिनों के शावकों को निशाना बनाते हैं. प्राथमिक साक्ष्यों से पता चला है कि हमलावर बाघ ने शावकों को मारने के बाद उनके शरीर के कुछ हिस्से भी खाए थे. घटना स्थल से कुछ दूरी पर बाघिन टी-60 को बेचैन अवस्था में देखा गया. वह अपने शावकों के शवों के इर्द-गिर्द घूम रही थी.

ड्रोन ने तेंदुए की तलाश में रातभर भरी उड़ान

इंदौर. देवगुराड़िया और राला मंडल इलाके में पिछले तीन महीनों से तेंदुए की हलचल लगातार देखी जा रही है. वन विभाग ने इस पर नियंत्रण के लिए हाईटेक ड्रोन से रात में निगरानी अभियान शुरू किया है. कल रात रालामण्डल की पहाड़ियों से पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन ने लगभग 2 घंटे की उड़ान भरी. इस दौरान जिला वनमंडलाधिकारी, रालामण्डल एसडीओ और टेक्निशियन टीम ड्रोन संचालन के लिए मौके पर मौजूद थे. ड्रोन में नाइट विजन और थर्मल कैमरे लगे हुए हैं, जो रात में 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तक हलचल और इमेज रिकॉर्ड कर सकते हैं.

कांग्रेसियों को 5 साल बाद राहत का फैसला

एमपी एमएलए कोर्ट में मशाल रैली केस के सभी नेता बरी

इंदौर, 12 दिसंबर. कोरोना लॉकडाउन के दौरान निकाली गई मशाल रैली के मामले में करीब पांच साल चली सुनवाई का अंत हो गया. अदालत ने पुलिस की प्रक्रिया में गंभीर चुक का हवाला देते हुए सभी सातों कांग्रेस नेताओं को आरोपमुक्त कर दिया.

परदेशीपुरा थाने में वर्ष 2020 में दर्ज मशाल रैली केस में कांग्रेस के सात नेताओं को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई. कोरोना प्रतिबंधों और धारा 144 के उल्लंघन के आरोपों पर दर्ज प्रकरण को एमपी एमएलए कोर्ट के प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश देव कुमार ने सोमवार को खारिज करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे, पार्षद राजू भदौरिया सहित सात नेताओं के खिलाफ चार धाराओं में केस दर्ज किया था.

आरोप टिक नहीं सके

कांग्रेस की ओर से एडवोकेट जय हार्डिया ने दलील दी कि पुलिस ने न केवल प्रकरण क्रमांक गलत लिखा, बल्कि पेश किए गए साक्ष्य भी आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे. अदालत ने माना कि धारा 188 के उल्लंघन पर कार्रवाई करने से पहले पुलिस को एसडीएम के समक्ष प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कराना अनिवार्य था, लेकिन यह मूल प्रक्रिया पूरी नहीं की. साथ ही गवाहों के बयान भी पुलिस आरोपों को मजबूत नहीं कर पाई. इस पर अदालत ने पाया कि जांच और अभियोजन दोनों स्तरों पर कई गंभीर त्रुटियां हुईं, जिसके कारण आरोप टिक नहीं सके.

इंडिगो की 10 उड़ानें तीसरे दिन भी निरस्त

इंदौर. इंदौर से आने-जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की 10 उड़ानें लगातार तीसरे दिन निरस्त रह गईं. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद की उड़ानों में रद्द होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सरकार द्वारा नियमों में छूट दिए जाने के बावजूद इंडिगो की उड़ानों का रद्द होना जारी है. विमानतल सूत्रों के अनुसार आज सुबह से रात तक 10 उड़ानें निरस्त रही हैं, जो पिछले दो दिनों में भी निरस्त हो चुकी थीं. कंपनी ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट राशि रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कई को दूसरी उड़ानों में एडजस्ट भी किया जा रहा है.

हत्यारा मास्टरमाइंड पिता सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हत्याकांड का खुलासा

पिपलियामण्डी/मंदसौर, 12 दिसंबर. नाहरगढ़ थाना पुलिस ने छह माह पुराने भाजपा मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ हत्याकांड का शुक्रवार को खुलासा कर दिया.

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के निर्देशन में गठित टीम ने मामले में मृतक के पिता सहित पाँच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि बदनामी और संपत्ति खोने के डर से पिता दौलतराम ने ही बेटे की हत्या की साजिश रची थी. सुपारी देने में उसका साथी गोपाल भी शामिल था. पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की भूमिका, हथियारों की बरामदगी तथा सुपारी लेन-देन की जानकारी जुटाई जाएगी. आरोपी संख्या बढ़ने की भी संभावना है.

तकनीकी साक्ष्यों से खुलासा: मोबाइल कॉल डिटेल, सोशल मीडिया चैट, वायरल वीडियो और साइबर सेल की जांच ने पुलिस को हत्यारों तक पहुँचाया. शुरुआती दिनों में पिता ने मामले को भटकाने के लिए एक महिला पर आरोप लगाए थे.

ऐसे हुई हत्या

17 जुलाई की रात दौलतराम ने रातीतलाई के रंगलाल, सुमित और अटलु बाछड़ा को पाँच लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी. तीनों आरोपी सीढ़ियों से कमरे में पहुंचे और सो रहे श्यामलाल की कुल्हाड़ी व चाकू से हत्या कर फरार हो गए. 18 जुलाई को उनका रक्तरंजित शव घर की ऊपरी मंजिल पर मिला था. पुलिस ने पिता दौलतराम, गोपाल धाकड़ सहित तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेजा गया है.

एक नजर में

वेयर हाउस मैनेजर रिश्वत लेते हुआ ट्रेप

सिवनी, 12 दिसंबर. धान और अनाज खरीदी के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को सिवनी के म प्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन, धनौरा के दफ्तर में वेयर हाउस मैनेजर (सहायक गुणवत्ता नियंत्रक) मुकेश परमार को 15000 रूपयों की रिश्वत लेते हुए ट्रेप कर लिया है. लोकायुक्त ने आरोपी के कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर ली है. लोकायुक्त एसपी अंजुलता पटले ने बताया कि आवेदक सुरेन्द्र जैन के ग्राम नाई पिपरिया में स्थित जैन वेयर हाउस में धान खरीदी एवं अन्य अनाज खरीदी की पर्याप्त सुविधाएं न होने की लिखा-पढ़ी ऊपर न करने के एवज में 25000 रूपये की मांग की गई थी. बातचीत में आरोपी 15000 रूपये रिश्वत लेने के लिए मसौदा तय हुआ था. रिश्वत की रकम शुक्रवार को आरोपी को देना तय था. लोकायुक्त टीम ने दफ्तर में जाल बिछाया और आवेदक को रिश्वत देने के लिए भेजा. रिश्वत देते ही आवेदक से इशारा मिलते दल ने रेड की, जिससे मौके पर रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया. लोकायुक्त के ट्रेप दल में निरीक्षक शशि मर्सकोले, राहुल गजभिए, बृजमोहन नरवरिया मौजूद रहे.

प्रभारी मंत्री श्री लोधी आज खण्डवा आएंगे

खण्डवा, 12 दिसंबर. प्रदेश सरकार के पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक व खण्डवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 13 दिसंबर को खंडवा में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक लेंगे. श्री लोधी प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मीडिया प्रतिनिधियों को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे. श्री लोधी 13 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, परिवहन विभाग एवं कृषि विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे. इसके बाद प्रभारी मंत्री श्री लोधी दोपहर 2 बजे स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों को प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे.

अटलजी की जयंती पर होगी एमपी ग्रोथ समिट

ग्वालियर, 12 दिसंबर. पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में 25 दिसम्बर को अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मेला मैदान में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में यह आयोजन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे. कलेक्टर रुचिका चौहान ने शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर इस आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से कराने दिशा-निर्देश दिए. इस आयोजन में बड़ी संख्या में उद्यमी, निवेशक, हितग्राही एवं नागरिक शामिल होंगे. कलेक्टर ने कहा कि पार्किंग सहित सभी व्यवस्थायें बेहतर से बेहतर हों. व्यवस्थाओं को इस प्रकार से अंजाम दें, जिससे कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे सभी प्रतिभागी सुविधाजनक तरीके से अपने सेक्टर में पहुँच सकें। साथ ही सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दें. अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 में बीते वर्ष की सफलतायें साझा की जायेंगीं. साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी सार्थक विचार-विमर्श होगा.

राजस्व निरीक्षको को शोकाज नोटिस

नजूल शाखा का औचक निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर, मिली कमियां

रीवा, 12 दिसम्बर, कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट की नजूल शाखा का आकस्मिक निरीक्षण किया.

कलेक्टर ने दर्ज प्रकरणों तथा निराकृत प्रकरणों की जानकारी ली. कलेक्टर ने कहा कि नजूल नवीनीकरण तथा एनओसी के प्रकरण तत्काल निराकृत करें. नामांतरण के भी सभी प्रकरण तय समय सीमा में निराकृत करें. कार्यालय की नस्तियों तथा अभिलेखों को वर्ष के अनुसार व्यवस्थित रखें.

पुराने दस्तावेज रिकार्ड रूम में जमा कराएं. प्रभारी अधिकारी प्रतिदिन कम से कम दो घंटे नजूल शाखा में बैठकर प्रकरणों का निराकरण करें. पीठासीन अधिकारी दर्ज प्रकरणों की पूरी जानकारी रखें. कलेक्टर ने प्रकरणों की सही जानकारी न देने व फाइलें उपलब्ध न कराने पर रीडर को कड़ी फटकार लगाई. कलेक्टर ने लापरवाह रीडर के विरूद्ध विभागीय जाँच के निर्देश दिए. कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी नजूल शाखा, तहसीलदार नजूल तथा राजस्व निरीक्षकों को भी कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए.

पुलिस की दबिश, घर की सर्चिंग, अमित से चल रही पूछताछ

जबलपुर, 12 दिसंबर. समाजसेवी के नाम से फेमस होने के बाद करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले अमित खम्परिया को पुलिस रिमांड के दौरान उमरिया स्थित उसके घर ले गई जहां डेढ़ घंटे तक पुलिस ने सर्चिंग की लेकिन पुलिस को आर्म्स नहीं मिले. जिसके बाद टीम उसे वापिस लेकर आ गई.

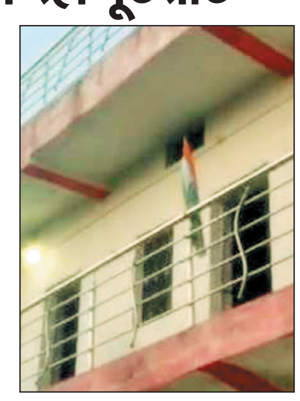

अमित रिमांड के दौरान पुलिस को गुमराह कर रहा है. पूछताछ के दौरान वह कभी चुप्पी साध रहा है तो कभी गोलमोल जवाब दे रहा है जिसके चलते पीड़ितों को डराने, धमकाने में इस्तेमाल किए गए आर्म्स की अब तक बरामदगी नहीं हो पाई है. विदित हो कि अवैध उत्खनन, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत अमित खम्परिया के खिलाफ कुल 17 अपराध दर्ज है. संजीवनी नगर एवं मदनमहल थाने में दर्ज अपराध में वह लंबे समय से फरार था जिसे नागपुर से गिरफ्तार किया. टीम ने उसे 15 दिन की रिमांड पर लिया है. 2024 में संजीवनी नगर थाने में सचिन गुप्ता की रिपोर्ट पर अमित खम्परिया, अमित द्विवेदी, अभिषेक बैरागी, श्रीकांत समेत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया. आरोपियों द्वारा टोल प्लाजा का संचालन करने और अधिक मुनाफे का लालच देकर षडयंत्र रचते हुए 1,21,45, 296 रूपए हड़पे गए थे. साथ ही बंदूकधारियों के साथ पीडित को बंधक बनाकर धमकाया था. जिसमें भी उसकी गिरफ्तारी दर्ज हुई थी. अब पुलिस को बंदूकों की तलाश है.

नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज

सिंगरौली. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश अतुल कुमार खण्डेलवाल के मार्गदर्शन में कल दिन शनिवार 13 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल कुमार खण्डेलवाल के द्वारा कुल 20 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया है. प्रधान न्यायाधीश श्री खण्डेलवाल के द्वारा गठित न्यायिक खण्डपीठों के अंतर्गत जिला न्यायालय बैढ़न में 11 पीठासीन अधिकारीगण का गठन किया गया है. नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ प्रधान जिला न्यायाधीश श्री खण्डेलवाल द्वारा जिला न्यायालय बैढ़न परिसर में प्रात: 10:30 बजे किया जायेगा. नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण कराने वाले पक्षकारों को न्याय प्रतीक के रूप में निःशुल्क पौधा वितरण किया जावेगा.

उपचुनाव : 12 पदों पर 29 दिसम्बर को होगा मतदान

बड़वानी. निर्वाचन आयोग ने प्रदेशभर में 30 सितंबर 2025 तक रिक्त हुई नगरीय निकायों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. जिले में नगर परिषद पानसेमल के वार्ड 2 में पार्षद का एक पद रिक्त है. वहीं जनपद पंचायत पानसेमल की ग्राम पंचायत वांगरा में सरपंच का एक पद तथा जनपद पंचायत ठीकरी के ग्राम छापरी, चकेरी और मोहीपुरा में तीन सदस्य पदों के लिए चुनाव होंगे. जपं राजपुर के तहत ग्राम पंचायत बकवाड़ी वार्ड 17, देवनली वार्ड 9, घुसगांव वार्ड 3 व 13, लिंबई वार्ड 12 व 14 तथा साली वार्ड 16 के 7पंच पद रिक्त हैं.

गौ तस्कर को सोयत पुलिस ने दबोचा, नौ गौवंश बरामद

सोयतकलां, 12 दिसंबर. सोयत पुलिस और गौसेवक आर्यवीर दल के कार्यकर्ताओं के संयुक्त प्रयास से बीती रात झालावाड़-उज्जैन रोड पर स्थित गुराड़ी बंगला पर एक बोलेरो पिकअप को पकड़ा.

जिसमें 8 नर गौवंश ठूंस-ठूंसकर भरे हुए थे. पुलिस ने मामले में गौतस्कर को गिरफ्तार कर गौवंश को पिकअप सहित बरामद किया. इस मामले से जुड़ अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. बता दें सभी नर गौवंश के मुंह एवं पैरों को घुटनों से मोडक़र बांधा हुआ था, जिसके कारण सभी गौवंश तड़प रहे थे. जैसे ही गौवंश से भरा वाहन झालावाड़-उज्जैन रोड से गुजर रहा था, तो सोयत पुलिस एवं आर्यवीर दल के गौ सेवकों ने उक्त वाहन को रोका. यहां पिड़ावा आजाद चौक तलाई निवासी सद्दाम शाह पिता मोहम्मद शाह को रंगे हाथों पकड़ा. पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सद्दाम ने बताया कि वह इस मामले से जुड़े वाहन चालक सादिक खां पिता खाजू खां फातमा मस्जिद आरा मशीन के पास आगर मालवा एवं अन्य साथियों को जानता है.

विरोध | नीतियों और कथित जनविरोधी फैसलों के खिलाफ नारेबाजी

यूथ कांग्रेस ने मंत्री बागरी के विरुद्ध किया प्रदर्शन

सिंगरौली, 12 दिसंबर. जिले में मध्यप्रदेश शासन की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के विरोध में आज युवा कांग्रेस सिंगरौली ने प्रदर्शन किया.

वैढ़न ब्लॉक युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित इस विरोध कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष सहित संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे. कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रतिमा बागरी की नीतियों और कथित जनविरोधी फैसलों के खिलाफ नारेबाज़ी करते हुए पुतला दहन किया गया. युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार युवाओं, आदिवासियों और आम जनता के मुद्दों को अनदेखा कर रही है, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है. युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.

14 को दिल्ली जाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता

खरगोन. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की जा रही है. उक्त रैली में जिले से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे. जिला कांग्रेस प्रवक्ता राजेश मंडलोई ने जिले में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोर-शोर से चलाया था.

मेडिकल में सोने की 2.9 तोला चैन लूटी, सुरक्षा गार्ड ने दबोचा

जबलपुर. मेडिकल कॉलेज में दो लुटेरों ने एक युवक के साथ मारपीट करते हुए उसकी 2.9 तोला सोने की चैन लूट ली. हालांकि सुरक्षा गार्ड ने दोनों को दबोच लिया जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस ने बताया कि अभय सिंह 26 वर्ष निवासी बरगी हिल्स कालोनी तिलवारा ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि रात लगभग 9 बजे वह अपनी नानी अंतराज सिंह जो कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं जिनकी देखरेख के लिये मेडिकल कॉलेज में था. वार्ड में ड्यूटीरत नर्स से 2 लड़के विवाद कर वार्ड से बाहर आये उसी समय वह भी वार्ड से बाहर आया और अपने मामा जो कि सतना से नानी के पास आये थे.

नवभारत

यदि आप में समाज के लिए कुछ करने का जुनून है तो

आवश्यकता है

देश के कई राज्यों से प्रकाशित हिंदी दैनिक नवभारत पत्र समूह के भोपाल संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए आवश्यकता है। वेतन योग्यतानुसार रहेगा।

रिर्पोटर (पद-3)
योग्यता - स्नातक, दैनिक अखबार में 3 से 5 वर्ष का कार्य अनुभव। पत्रकारिता में डिग्री की प्राथमिकता स्वयं का वाहन अनिवार्य है

उपसंपादक (पद-2)
योग्यता - स्नातक, दैनिक अखबार में 3 से 5 वर्ष का डेस्क कार्य अनुभव भाषा, व्याकरण एवं अनुवाद का ज्ञान खबरों के संपादन में दक्षता पत्रकारिता में डिग्री की प्राथमिकता

मार्केटिंग एक्जक्युटिव (पद-3)
योग्यता - स्नातक, मार्केटिंग क्षेत्र मे कम से कम 1 वर्ष का अनुभव, स्वयं का वाहन अनिवार्य।

सरक्यूलेशन एक्जीक्युटिव (पद-3)
योग्यता - स्नातक, दैनिक अखबार के प्रसार विभाग में कार्य अनुभव की प्राथमिकता, स्वयं का वाहन अनिवार्य।

डीटीपी कम्प्यूटर ऑपरेटर (पद-2)
योग्यता - कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव की प्राथमिकता

: संपर्क करें :

स्थान : नव भारत प्रेस परिसर 3, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स रामगोपाल महेश्वरी मार्ग, एम. पी. नगर, जोन-1, भोपाल

8839490247 Email: hr.navabharat1934@gmail.com